टी बोर्ड

14, बिप्लवी त्रैलोक्य महाराज सरणी

कोलकाता-700001

मिसिल स.22(मेड)/स्था/90/पार्ट-III

दिनांक: 30.03.2022

परिपत्र

सभी संबंधितों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि चिकित्सा/एलटीसी प्रतिपूर्ति के उद्देश्य से कर्मचारियों और उनके वैध आश्रितों के डेटाबेस को अद्यतन करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बोर्ड के सभी नियमित कर्मचारियों से अनुरोध है कि वे अपने आश्रितों का विवरण संलग्नक-I में निर्धारित प्रारूप में संलग्नक-II में सूचीबद्ध सहायक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें।

बोर्ड के विभिन्न आंचलिक/क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत सभी अधिकारियों से अनुरोध किया जाता है कि वे बोर्ड के नियंत्रणाधीन अपने-अपने कार्यालयों में निर्धारित प्रारूप में संबंधित जानकारी प्रस्तुत करें और बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता में, सभी से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर वित्त शाखा को प्रस्तुत करें, अन्यथा चिकित्सा/एलटीसी प्रतिपूर्ति के दावों पर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

अनुलग्नक: यथा कथित

(डॉ. ऋषिकेश राय)
सचिव (प्र)

वितरण:-

<table>
<tr><td>1.</td><td>बोर्ड के मुख्यालय, कोलकाता के सभी विभागाध्यक्ष</td><td rowspan="5">अपने अधीन कार्यरत सभी अधिकारियों के बीच इस परिपत्र के विषय को अनुपालन हेतु परिचालित करने के अनुरोध सहित।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>कार्यपालक निदेशक, कून्नूर एवं गुवाहाटी</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>निदेशक (अनुसंधान), क्यूसीएल</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>उ.नि.चा.वि, सिलिगुड़ी, फै.स.अ., पालमपूर</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>वि.अ.(उ.प.भा), टी बोर्ड, नई दिल्ली</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>वि.स एवं मु.ले.अ.</td><td></td></tr>
<tr><td>7.</td><td>उपाध्यक्ष के सचिव/सचिव</td><td></td></tr>
<tr><td>8.</td><td>वि.स. व मु.ले.अ. के नि.स, सचिव के निजी शाखा</td><td></td></tr>
<tr><td>9.</td><td>आई.टी. कक्ष</td><td>बोर्ड के वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित</td></tr>
<tr><td>10.</td><td>सचिवालयी शाखा</td><td></td></tr>
<tr><td>11.</td><td>टीबीइए/टीबीडब्लूए/टीबीओए</td><td></td></tr>
<tr><td>12.</td><td>चिकित्सा विंग,वित्त शाखा, कोलकाता</td><td></td></tr>
<tr><td>13.</td><td>स्थापना शाखा</td><td>अतिरिक्त प्रतियों सहित</td></tr>
</table>

संगलग्नक-I

टी बोर्ड

14,बी.टी.एम.सरणी,

कोलकाता-700 001

सीएस (एमए) नियमों के अनुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए परिवार घोषणा

FAMILY DECLARATION FOR MEDICAL REIMBURSEMENT AS PER CS(MA) RULES

कर्मचारी का नाम/Name of the employee .... पदनाम/Designation..

विवाहित/अविवाहित/Married/Single....................

आश्रित परिवार के सदस्यों का विवरण/Particulars of dependent family members :

क्र.सं/Sl. No.	परिवार के सदस्य व आश्रित का नाम / Name of the family members and dependents	जन्मतिथि(सहायक दस्तावेज़ों सहित)/ Date of Birth (with supporting documents)	रिश्ता/ Relationship	उपजीविका/ Occupation	मासिक आय (सहायक दस्तावेज़ों सहित)/ Monthly Income (with supporting documents)	टिप्पणी/Remarks
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि मेरे परिवार के सदस्यों पर ऊपर दी गई जानकारी निर्भरता मानदंड के अनुसार सीएसएमए नियम 1944 के अनुसार मुझ पर आश्रित है।

I hereby declare that the information given above on my family members are dependent on me as per CSMA Rules 1944 as per the dependency criteria.

स्थान/Place : हस्ताक्षर/Signature ....

दिनांक/Date : पदनाम /Designation ....

सीएस (एमए) नियमों के अनुसार *परिवार और **निर्भरता मानदंड की परिभाषा रिवर्स पर विस्तृत है।

The definition of * family and ** dependency criteria as per CS(MA) Rules are detailed on reverse.

P.T.O.

* **परिवार की परिभाषा**:- 'परिवार' का अर्थ है कर्मचारी के-

i) पति/पत्नी जिसमें एक से अधिक पत्नी एवं न्यायिक रुप से अलग पत्नी
ii) माता-पिता एवं सौतेली माँ
गोद लेने के मामले में, केवल दत्तक नाकि वास्तविक माता-पिता।
यदि दत्तक पिता की एक से अधिक पत्नियाँ हैं, तो केवल पहली पत्नी।

एक महिला कर्मचारी के पास अपने माता-पिता या अपने सास-ससुर में से किन्हीं एक को शामिल करने का विकल्प है; वह कार्यकाल के दौरान केवल एक बार बदल सकते है।
iii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चें, सौतेले बच्चें और वार्ड के रूप में लिए गए बच्चें शामिल है:-

अविवाहित बेटा .... जब तक वह कमाना शुरू नहीं कर देता या 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो।

बेटी .... जब तक वह कमाई करना शुरू नहीं कर देती या शादी नहीं कर लेती, जो भी पहले हो, आयु-सीमा का विचार किए बिना।

किसी भी प्रकार की
स्थायी विकलांगता से .... कोई आयु-सीमा नहीं।
पीड़ित पुत्र (शारीरिक या मानसिक)

iv) विधवा बेटियां और आश्रित तलाकशुदा / अलग बेटियां – आयु-सीमा का विचार किए बिना

v) बहनें जिसमें अविवाहित / तलाकशुदा / परित्यक्त या पति से अलग / विधवा बहनें शामिल हैं -- आयु-सीमा का विचार किए बिना

vi) नाबालिग भाई
vii) स्थायी रूप से विकलांग आश्रित भाई -- कोई आयु-सीमा नहीं

** **निर्भरता**:- परिवार के सदस्यों (पति/पत्नी के अलावा) की निर्भरता के लिए आय सीमा रु. 9000/- व इस पर स्वीकार्य महंगाई राहत की राशि और दावे पर विचार करने की तिथि है। कर्मचारी के मुख्यालय के अलावा किसी अन्य स्टेशन में सरकार या परिवार के बाकी सदस्यों के साथ रहने वाले माता-पिता प्रतिपूर्ति के लिए पात्र हैं।

हस्ताक्षर/Signature:................................

पदनाम/Designation:............................

अनुलग्नक-II

<u>विशिष्ट सहायक दस्तावेज़</u>:

1. सभी बेटें – जब तक वह कमाना शुरू नहीं कर देता या 25 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, इसमें सौतेला बेटे, कानूनी रूप से गोद लिए गए बेटे शामिल है - आयु प्रमाण।

2. विधवा / तलाकशुदा / अलग हुई बेटी – आयु प्रमाण व आय प्रमाणपत्र।

3. आश्रित माता-पिता – आयु प्रमाण व आय प्रमाणपत्र।

4. नाबालिग भाई – बालिग बनने की आयु तक – आयु प्रमाण।

5. अविवाहित बहनें - आयु प्रमाण व आय प्रमाणपत्र एवं वैवाहिक स्थिति का प्रमाण ।

6. विधवा बहनें - आयु प्रमाण व आय प्रमाणपत्र एवं वैवाहिक स्थिति का प्रमाण ।

7. सौतेली माँ - आयु प्रमाण व आय प्रमाणपत्र।

दस्तावेज़ निम्नस्त हैं (प्रारूप के साथ संलग्न कोई एक)

	आयु प्रमाण	आय प्रमाणपत्र	वैवाहिक स्थिति
1.	जन्म प्रमाणपत्र	1. एसडीओ या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र	1. एसडीओ या समकक्ष राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र
2.	मतदाता पहचान पत्र	2. नियोक्ता द्वारा जारी प्रमाणपत्र	2. तलाक के कागज़
3.	आधार कार्ड		3. विवाह प्रमाणपत्र